Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

[Ceiling Misc. Appeal No.-15/2025]

Kanhai Hari@Kanhai Harijan & Ors.....Appellants.

Versus

The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	08.4.2026	**आदेश** यह अपील वाद न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा विविध भू-हदबंदी वाद संख्या- 76/2007 में दिनांक-08.4.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक 19.3.2026 को उभय पक्ष एवं विद्वान AGP के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थीगण का कहना है कि वर्ष 1973-74 में मो. हाजी अहमद हुसैन के विरूद्ध भू-हदबंदी की कार्यवाही शुरू की गयी, जिसमें मौजा-अररिया, राठौर, इस्लामपुर, अमौर, ढ़रिया एवं भवानीपुर की जमीन सम्मिलित थी। तथा यह कि उक्त कार्यवाही के उपरान्त लगभग 36 एकड़ जमीन को सीलिंग Surplus जमीन के रूप में अधिसूचित करते हुए अपीलार्थी एवं अन्य को लाल कार्ड के माध्यम से बंदोबस्त किया गया। जिसके उपरान्त उक्त बंदोबस्त की गयी जमीन पर उनलोगों का दखल-कब्जा रहा एवं घर-बाड़ बनाकर सरकार को भू-लगान दिया जा रहा है। उनके द्वारा यह कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में विपक्षी Private Party द्वारा उन्हें एवं अन्य लाल कार्ड धारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया। साथ ही निम्न न्यायालय में दायर किये गये विविध भू-हदबंदी वाद सं.-76/2007 में भी पक्षकार नहीं बनाया गया। उनका यह भी कहना है कि अंचल अधिकारी, अमौर के स्तर से उक्त सीलिंग Surplus जमीन के वर्गीकरण के संदर्भ में भी गलत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उनका यह भी कहना है कि बंदोबस्त की गयी जमीन पर वे लोग लगभग 34 वर्षों से अधिक समय से वास कर रहे हैं। तथा यह कि निम्न न्यायालय के आदेश के उपरान्त वे लोग बेघर हो जायेंगे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से इस अपील वाद को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षीगण का कहना है कि पूर्व में उनके पूर्वजों के विरूद्ध भू-हदबंदी वाद सं. -1842/1973-74 की कार्यवाही चलायी गयी। जिसके आलोक में कालान्तर में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका सं.-6152/1990 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-05.5. 1999 में माननीय न्यायालय ने पूर्व में निचले एवं अन्य स्तर से उक्त भू-हदबंदी वाद में पारित आदेशों को निरस्त करते हुए समाहर्त्ता, पूर्णिया को आदेश दिया कि पुनः स्थलीय जाँच करवाते हुए नियमानुसार Fresh Order पारित करेंगे। उक्त आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, पूर्णिया के स्तर से अंचल अधिकारी, अमौर से स्थलीय जाँच करते हुए प्रतिवेदन की माँग की गई। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, अमौर के पत्रांक-476 दिनांक-26.3.2019 के द्वारा स्थलीय जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें उनके हिस्से में वर्ग-VI की कुल 46.122 एकड़ जमीन होने का उल्लेख किया गया। तथा यह कि उक्त प्रतिवेदन के आलोक में समाहर्त्ता, पूर्णिया के द्वारा उनके 1.122 एकड़ अतिरिक्त जमीन को नये सिरे से सीलिंग Surplus भूमि के रूप में अधिसूचित करने संबंधी आदेश पारित किया गया। जो सही है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अपीलार्थीगण यह बताने में असफल हुए हैं कि उन्हें कौन सी जमीन बंदोबस्त की गई है। विपक्षीगण द्वारा निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को बरकरार रखते हुए इस अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

R.

	08.4.2026	उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि पूर्व में भू-हदबंदी वाद सं.-1842/1973-74 में पारित आदेश के विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका सं.-6152/1990 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-05.5.1999 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने समाहर्त्ता, पूर्णिया को आदेश दिया कि उक्त सीलिंग Surplus भूमि के संबंध में सक्षम प्राधिकार के स्तर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए नियमानुसार आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। जिसके आलोक में समाहर्त्ता, पूर्णिया के स्तर से अपीलाधीन आदेश (08.4.2022) पारित किया गया। वस्तुतः निम्न न्यायालय के स्तर से अंचल अधिकारी, अमौर के स्थलीय जाँच प्रतिवेदन (पत्रांक-476 दिनांक-26.3.2019) में वर्णित भूमि वर्गीकरण के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय के आदेश एवं अंचल अधिकारी, अमौर के उक्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। जिसमें निम्नांकित तथ्यात्मक त्रुटियां परिलक्षित हो रही है:- 1. अंचल अधिकारी, अमौर के उक्त प्रतिवेदन में मौजा- अररिया, थाना नं.-196 RS खाता-103 RS खेसरा-154, 223, 175, 212, 246, 249, 123, 206 चक खाता-24 चक खेसरा-97, 108, 101 रकवा-4.46 एकड़ जिसमें वर्त्तमान स्थिति के कॉलम में तोड़ी का एक फसल लगा हुआ उल्लेखित है, के अभ्युक्ति में नीचा भूमि दर्शाते हुए भूमि को वर्ग-VI के रूप में बताया गया है। इसी प्रकार मौजा- खरहिया थाना नं.-195 RS खाता-7, 16 RS खेसरा-86, 87, 346, 453, 90, 91, 92, 295, 347, 111, 176, 177, 178, 392, 102, 296, 346, 347, 311, 1239, 392, 425, 427, 517, 1241, 428, 444, 445, 509 चक खाता-7 चक खेसरा-32, 122 रकवा-3.02 एकड़ एवं अन्य कई खाता-खेसरा की जमीन पर वर्त्तमान स्थिति वाले कॉलम में फसल लगे होने का उल्लेख है, परन्तु भूमि को वर्ग-VI के रूप में दर्शाया गया है। Bihar Land Ceiling Act, 1961 में भूमि वर्गीकरण की परिभाषा में कृषि योग्य भूमि को वर्ग-I के रूप में उल्लेखित किया गया है। तथा यह कि Forest Land or Land Perennially submerged under water को वर्ग-VI के रूप में परिभाषित किया गया है। जिसके आधार पर यह परिलक्षित हो रहा है कि अंचल अधिकारी, अमौर के स्तर से भू-स्वामी के भूमि का वर्गीकरण गलत तरीके से किया गया है। 2. अंचल अधिकारी, अमौर के उक्त स्थलीय जाँच प्रतिवेदन में वर्ग-VI की भूमि का कुल रकवा-34.65 एकड़ दर्शाया गया है, जबकि निम्न न्यायालय के स्तर से पारित आदेश में भू-धारी के पास वर्ग-VI की कुल 46.122 एकड़ जमीन का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त दोनों बिन्दु परस्पर विरोधाभाषी स्थिति परिलक्षित करती है। निम्न न्यायालय के स्तर से पारित आदेश में अंचल अधिकारी, अमौर के पत्रांक-476 दिनांक-26.3.2019 को आदेश का अंश माना गया है। परन्तु तत्कालीन अंचल अधिकारी, अमौर के स्थलीय जाँच प्रतिवेदन में गलत रूप से भू-धारी के अधिकांश भूमि को वर्ग-VI के रूप में चिन्हित किया गया है। जिससे यह मानने का स्पष्ट आधार बनता है कि ऐसा भू-धारी के कम-से-कम भूमि को Ceiling Surplus भूमि के रूप में अधिसूचित करने के लिए किया गया है। जो उनके गंभीर पदीय कार्यकलाप का परिचायक है। उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए समाहर्त्ता, पूर्णिया को मामले को Remand back करते हुए निम्नांकित आदेश दिया जाता है:- 1. समाहर्त्ता, पूर्णिया को आदेश दिया जाता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी एवं अपर समाहर्त्ता स्तर के किसी पदाधिकारी की संयुक्त टीम बनाकर भू-धारी के सभी मौजा स्थित खाता-खेसरा की जमीन का स्थलीय जाँच करवायेंगे। साथ ही सभी जमीन का भूमि वर्गीकरण सकारण विनिश्चय के साथ प्रतिवेदन में अंकित करेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में Bihar Land Ceiling Act, 1961 में निहित भूमि वर्गीकरण के प्रावधानों का उल्लंघन न हो। 2. समाहर्त्ता, पूर्णिया को आदेश दिया जाता है कि पत्रांक-476 दिनांक-26.3.2019 के द्वारा भू-धारी के भूमि का गलत तथा प्रावधानों के विपरीत वर्गीकरण का प्रतिवेदन समर्पित करने वाले तत्कालीन अंचल अधिकारी, अमौर के विरूद्ध परिलक्षित पदीय	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

	08.4.2026	कदाचार हेतु आरोप-पत्र गठित करते हुए अनुवर्त्ती कार्रवाई हेतु विभाग को 15 दिनों में भेजें। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। साथ ही भू-धारी की ओर से प्रश्नगत जमीन के Sale/Transfer पर अगले आदेश तक रोक लगाया जाता है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। Rajesh K. 08/4/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। Rajesh K. 08/4/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	